



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265895
CG-DL-E-02092025-265895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3907]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 3907]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4012(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 652(E) तारीख 07/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-163 के कि.मी.150.000 से कि.मी.170.400 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 15 फ़रवरी 2025" को " दहिन्दू" (अंग्रेजी) और " वेलगु" (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा जिले में NH-163 के कि.मी. 150.000 से कि.मी. 170.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: हनमकोंडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (आत्मकूर)					
गांव का नाम: नीरुकुल्ला					
1	एक्सिस्टिंग सड़क	सरकारी	ड्राय (एक्सिस्टिंग सड़क)	0.20235	एक्सिस्टिंग रोड
2	नक्शा रोड	सरकारी	ड्राय (नक्शा रोड)	0.526091	नक्शा रोड
गांव का नाम: हाउस बुजुर्ग					
3	३५१	सरकारी	बेट (कृषि भूमि)	0.050588	गवर्नमेंट
4	३५२	निजी (पट्टा)	बेट (कृषि भूमि)	0.010118	धरंगुला सराईअह, सॉन ऑफ. कोमुराईअह
5	३५२	निजी (पट्टा)	बेट (कृषि भूमि)	0.050588	धरंगुला सम्माईअह, सॉन ऑफ चंद्राईअह
6	३५२	निजी (पट्टा)	बेट (कृषि भूमि)	0.050588	कोदेपका सुगुना
7	३५२	निजी (पट्टा)	बेट (कृषि भूमि)	0.030353	आर्शम बलराम, सॉन ऑफ. सराईअह
8	३५२	निजी (पट्टा)	बेट (कृषि भूमि)	0.010118	धरंगुला रामुलु, सॉन ऑफ. चंद्राईअह

9	३६५	निजी (पट्टा)	ड्राय(कृषि भूमि)	0.055646	अर्शम बलराम, ऍस्/ओ. सरैया
10	३६५	निजी (पट्टा)	ड्राय(कृषि भूमि)	0.101175	न्याठेनि गोपाल , सॉन ऑफ. लक्माईअह
11	३६५	निजी (पट्टा)	ड्राय(कृषि भूमि)	0.010118	मुढीगोन्दा सुधाकर, सॉन ऑफ. गोपाल
12	३६५	निजी (पट्टा)	ड्राय(कृषि भूमि)	0.005052	अर्शम बलराम, ऍस्/ओ. सरैया
13	एक्जिस्टिंग रोड	सरकारी	ड्राय (एक्जिस्टिंग रोड)	0.101175	एक्जिस्टिंग रोड
14	नक्शा रोड	सरकारी	ड्राय (नक्शा रोड)	0.505875	ओल्ड नक्शा रोड
Total				1.709835	

[फा. सं. DB/TO/EE/R&B/NHW/2024-25/487 Dt 26.09.2024/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

S.O. 4012(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 652(E) Dated:07/02/2025, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **Construction and Maintenance, Management and Operation of NH-163 in the stretch of land from Km.150.000 to Km.170.400 in the district of Hanamkonda in the state of TELANGANA;**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Velugu” (Telugu) and “The Hindu” (English) both dated **15.02.2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-163 in the stretch of land from Km.150.000 to Km.170.400 in the district of Hanamkonda in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: Hanamkonda		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Atmakur					
Village: Neerukulla					
1	Existing Road	Government	Dry (Existing Road)	0.20235	Existing Road
2	Naksha Road	Government	Dry (Naksha Road)	0.526091	Naksha Road
Village: House Buzurg					
3	351	Government	Wet(Agriculture)	0.050588	Government
4	352	Private (Patta)	Wet(Agriculture)	0.010118	Dharangula Saraiah, S/o. Komuraiah
5	352	Private (Patta)	Wet(Agriculture)	0.050588	Dharangula Sammaiah, S/o. Chandraiah
6	352	Private (Patta)	Wet(Agriculture)	0.050588	Kodepaka Suguna
7	352	Private (Patta)	Wet(Agriculture)	0.030353	Arsham Balram, S/o. Saraiah
8	352	Private (Patta)	Wet(Agriculture)	0.010118	Dharangula Ramulu, S/o. Chandraiah
9	365	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.055646	Arsham Balram, S/o. Saraiah
10	365	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.101175	Nyatheni Gopal, S/o.Laxmaiah
11	365	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.010118	Mudhigonda Sudhakar, S/o. Gopal
12	365	Private (Patta)	Dry(Agriculture)	0.005052	Arsham Balram, S/o. Saraiah
13	Existing Road	Government	Dry (Existing Road)	0.101175	Existing Road
14	Naksha Road	Government	Dry (Naksha Road)	0.505875	Old Naksha Road
Total				1.709835	

[F. No. DB/TO/EE/R&B/NHW/2024-25/487 Dt 26.09.2024/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director